5. False maintenance of muster rolls, manipulation of official record, drawal of false travelling allowance etc : 12
6. Violation of Service Conduct Rules and departmental procedural orders: 20
7. Obtaining employment on impersonation: 3
8. Drawal of house rent allowance on production of false certificate: 1
9. Disproportionate assets: 13
10. Exchange of Railway tickets against faked Rail warrants in respect of Orissa Government: 1
11. Execution of work below specification by Railway Contractors or excess issue of materials or employment of excess labour: 10
12. Carrying of unbooked luggage by unauthorised persons in trains: 1
13. Miscellaneous: 18

Total: 166

Import of Watches

3520. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Ramachandra Ulaka:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the total number of watches imported during the last four months; and

(b) the total foreign exchange spent during the same period?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) and (b). The import of watches has been totally banned from April, 1965. The imports during the four months ending April, 1966, as given below largely represent smuggled watches which were confiscated, and include only a few that might have been imported against licences issued prior to the ban.

	Number	Value (Rs.)
Wrist watches	219	11,462
Stop ,,	702	15,048
Other ,,	400	11,967
Total :	1,321	Rs. 38,477

सौराष्ट्र में माल डिब्बों की मांग

3521. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने सौराष्ट्र की तीन कैमिकल फैक्टरियों अर्थात टाटा, सौराष्ट्र कैमिकल्स तथा घेगेन्द्र कैमिकल्स द्वारा वैगनों की बार बार की गई मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच ह कि इन फैक्टरियों की दैनिक मांग 76 वैगन की है और रेलवे बोर्ड उन्हें केवल 20 वैगन ही उपलब्ध करता है ;

(ग) क्या वैगनों की कमी के कारण 1 करोड़ 50 लाख रुपये का सोड़ा, फ़ैक्टरी के निकट पड़ा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या को अविलम्ब हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि देश को एक करोड़ रुपये की हानि न उठानी पड़े ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ; इसके विपरीत इन फ़ैक्ट्रियों से जाने वाले कास्टिक सोडा और सोडा ऐश का संचलन का दर्जा बढ़ाकर उसे अधिमान्य यातायात अनुसूची की "डी" अग्रता श्रेणी प्रदान की गयी है ।

(ख) और (ग): जनवरी से जुलाई, 1966 की अवधि में दैनिक औसत लदान 46 मालबडिब्बे था। सूखे की गम्भीर स्थिति, मैसूर,व महाराष्ट्र सीमा सम्बन्धी उपद्रव, उत्तर प्रदेश में सड़कपरिवहन की हड़ताल और असम में रेल पथ में टूट फूट, भूमिस्खलन और अभूतपूर्व भारी बाढ़ के कारण बहुत से माल डिब्बों का इस्तेमाल न हो सका और इसकी वजह से इस वर्ष जून और जुलाई में लदान पर असर पड़ा। अगस्त, 1966 में (19 तारीख तक), दैनिक लदान बढ़कर 75 माल डिब्बे हो चुका है और इस आधार पर उस तारीख को केवल एक पखवाड़े की बकाया मांगें पूरी होने को शेष थीं।

(घ) लदान की वर्तमान गति बनाये रखने की कोशिश की जा रही है ताकि न केवल बकाया मांग पूरी की जा सके, बल्कि माल डिब्बों की नयी मांग भी साथ साथ पूरी होती रहे।

मैकेनिकल डिपार्टमेंट, वाराणसी के कर्मचारी

3522. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दाजी :
श्री बड़े :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट, वाराणसी के कर्मचारियों को, जो कार्य करते हुए जख्मी हो गये थे, चिकित्सा के लिए बिना वेतन अवकाश मंजूर किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में अब तक इस प्रकार कितने व्यक्ति जख्मी हुए हैं ; और

(घ) उनको कितना मुआवजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के 497 और डीजल रेल इंजन कारखाने के 277 कर्मचारी घायल हुए थे। इनके अलावा, डीजल रेल इंजन कारखाने के 35 नैमित्तिक मजदूर घायल हुए और एक मर गया।

(घ) सभी नियमित कर्मचारियों को, जिन्हें ड्यटी पर लगी चोटों के कारण अस्पताल में इलाज कराना पड़ा, वेतन सहित अस्पताली छुट्टी दी गयी। केवल उस एक व्यक्ति को तदर्थ के रूप में 1274 रुपये दिये गये जो अपनी जीविकोपार्जन क्षमता खो चुका था।

जो 35 नैमित्तिक मजदूर घायल हुए, उन्हें पाक्षिक भुगतान के रूप में कुल मिलाकर 829 रुपये 80 पैसे दिये गये। मृत नैमित्तिक मजदूर के मामले में कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त के पास 3,000 रुपये की रकम जमा कर दी गयी है।

रेलवे लेखा विभाग के कर्मचारी

3523. **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लेखा विभाग के कर्मचारियों को, जिन्होंने दिसम्बर, 1957 में परिशिष्ट-2क परीक्षा पास कर ली थी परन्तु जिन्हें रेलवे बोर्ड से 14 जनवरी, 1958 के पत्र के अनुसार पदोन्नति नहीं दी गयी थी, बाद में रियायत देने और 1 अप्रैल, 1956 से उनकी पदोन्नति करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह रियायत बिना किसी पक्षपात के उन सभी कर्मचारियों को दी गई थी जिन्होंने दिसम्बर, 1957 में हुई परीक्षा पास कर ली थी और जो पिछली बार पदोन्नत किये गये व्यक्तियों से सीनियर थे ; और